

उपायुक्त का कार्यालय (जिला विकास शाखा), धनबाद।
(खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट)

:: अत्यन्त अल्प कालीन निविदा सूचना ::

धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों जूता उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरणों/उपस्करणों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म / प्रतिष्ठान से शर्तों के आधार पर मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरणी एवं शर्तें निम्नवत है-

Sl.	Specification	Rate Per Unit
1	Cutting Press 5' with 1.5'x1.5' head (including all accessories)	Rate per unit
2	Injection rofay 500 gms capacity (including all accessories)	Rate per unit
3	Molds Sizes 9-3 (9) (10) (11) (12) (13) (1) (2) (3)	Rate per pair
4	Eye let fixing / Punching	Rate per pair
5	Racks and Furniture	Rate per unit
6	Sewing Machines	Rate per unit
	1- Single needle	
	2- Double needle	
	3- Zig.Zag Machine	
	4- Binding Mechine	
	5- Strobell	

निविदा की शर्तें-

तकनीकी बिड-


1. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र
2. तीन वर्षों का आयकर जमा प्रमाण पत्र
3. प्रतिष्ठान का निबंधन संबंधी पत्र

वित्तीय विड

1. वित्तीय बिड अलग लिफाफा में जमा करना होगा जिसमें संबंधित सामग्री का अधिष्ठापन सहित एक मात्र दर निर्धारण करना होगा। एक से अधिक निर्धारित राशि मान्य नहीं होगी।

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा दिनांक 16/12/18 को पूर्वाह्न/अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा एवं निविदा उसी तिथि को पूर्वाह्न/अपराह्न 4:00 बजे क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अपने साथ मशीन का नमूना साथ में लायेंगे।
2. निविदादाता द्वारा जमानत/अग्रधन राशि के रूप में 10,000.00 रुपये जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, धनबाद के नाम से ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा।
3. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित प्रखंड के कार्यस्थल पर करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में शर्तों के मुताबिक गड़बड़ी करते हैं तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताये निविदाओं को रद्द करने का अधिकार अधोहरस्ताक्षरी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
6. क्रय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
7. अग्रधन राशि पर किसी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा।
8. अधुरा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।


 उप विकास आयुक्त-सह-
 सदस्य सचिव,
 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, धनबाद।